सत्यमेव जयते
जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

जनजातीय सशक्तिकरण
गौरवशाली भारत

जनजातीय कार्य मंत्रालय की
प्रमुख उपलब्धियां
2014–15 से 2022–23

सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

जनजातीय सशक्तिकरण गौरवशाली भारत

जनजातीय कार्य मंत्रालय की
प्रमुख उपलब्धियां
2014–15 से 2022–23

मध्य प्रदेश

के विशेष संदर्भ में

विषयवस्तु

प्रस्तावना

1. परिचय 1

2. मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं.. 2

3. जनजातियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिकोणः ईएमआरएस 3-7

4. जनजातियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिकोणः छात्रवृत्ति 8-10

5. जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई) 11

6. सतत और लाभप्रद आजीविका 12-14

7. राज्यों को अनुदान 15-19

8. गैर सरकारी संगठन 20

9. वन अधिकार अधिनियम (2006) 21

10. जनजातीय गौरव दिवस 22

शब्दावली 23

अर्जुन मुंडा
ARJUN MUNDA

G20
भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

सत्यमेव जयते

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

मंत्री
जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI-110001

प्रस्तावना

यह हर्ष का विषय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों पर हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों के सशक्तिकरण, कल्याण और विकास से संबंधित राज्य-वार पुस्तिकाओं की एक श्रृंखला प्रकाशित कर रहा है।

इस श्रृंखला में यह तीसरी पुस्तिका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित पुस्तिका है, शृंखला की दूसरी पुस्तिका राजस्थान और पहली पुस्तिका कर्नाटक राज्य पर आधारित थी । राज्य की अनुसूचित जनजातियों के बारे में तथ्यों के अलावा, यह पुस्तिका मध्य प्रदेश में लागू की गई मंत्रालय की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

मंत्रालय की प्रमुख योजना "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)" है जिसमें शुरूआत के बाद से, निर्माण की लागत और प्रति छात्र आवर्ती लागत दोनों में तेजी से वृद्धि के साथ एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। इसके अलावा, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटीएस) की स्थापना ने यह सुनिश्चित किया है कि ये स्कूल देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बराबर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश में 63 ईएमआरएस पूरी क्षमता से जनजातीय छात्रों को बेहतरीन शिक्षा सुलभ करवा रहें हैं ।

हमारी छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में डिजिटीकरण और धन की निर्मुक्ति ने प्रक्रियाओं को काफी सरल और उन्हें पारदर्शी बना दिया है। यह गर्व की बात है कि मंत्रालय लगभग चौंतीस (34) लाख मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रों को सार्वभौमिक कवरेज के आधार पर अनुसूचित जनजाति के छात्रों को नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

जनजातियों, विशेषकर महिलाओं की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय विभिन्न तरीकों से कार्य कर रहा है । ट्राइफेड, जनजातीय उत्पादों के लिए एक विपणन मंच के रूप में काम करने के अलावा, लघु वन उपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के साथ-साथ वन धन विकास केंद्रों का गठन करने का प्रयास करता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) जनजातीय उद्यमियों को नियमानुसार काफी कम ब्याज दरों के साथ-साथ छात्र ऋण भी प्रदान करता है। यह पुस्तिका ऐसी योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

बहु-क्षेत्रीय गतिविधियों की परियोजनाओं को मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान पूर्व की जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष घटक सहायता (एससीए) (जिसे अब प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के रूप में भी नया रूप दिया गया है) और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के व्यापक संरक्षण और विकास के लिए योजना के अंतर्गत वित्त पोषित किया गया है। मध्य प्रदेश ऐसी योजनाओं से लाभान्वित हुआ है और हमें उम्मीद है कि यह मंत्रालय के जनजातियों के विकास के लक्ष्यों में भागीदार बना रहेगा।

• 751, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001. Tel. : 011-23381499, 23388482, 23070577 (Fax)
E-mail : arjun.munda@gov.in

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) हमारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रशासित करने के साथ-साथ जनजातीय सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन और आजीविका के संरक्षण, और संवर्धन के लिए और जनजातीय लोगों को समझने के लिए हमारे ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।

सरकारी योजनाएँ जहाँ कुछ जनजातीय क्षेत्रों में पहुँचने में असमर्थ हैं, वहाँ स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान की योजना के द्वारा विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में, जनजातीय समुदायों की मदद की जाती है। इसी तरह, हमारे उत्कृष्टता केंद्रों ने अनुसूचित जनजाति से संबंधित अनुसंधान सहित कई क्षेत्रों में परियोजनाएँ शुरू की हैं।

वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 को जनजातीय आबादी के साथ किए गए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए एक अधिनियम के रूप में सही रूप से सराहा गया है। यह विशिष्ट रूप से जंगलों और जनजातियों के बीच सहजीवी संबंध को सुनिश्चित करता है। मंत्रालय ने अधिनियम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों को यहां प्रलेखित किया गया है ।

अंतिम, बहुत महत्वपूर्ण बात हमारी आजादी के लिए विदेशी शासन के खिलाफ बहादुरी से लड़ने वाले जनजातीय नायकों को सम्मनित करने के लिए, भारत सरकार ने 15 नवंबर, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 2021 में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में अधिसूचित किया है। मुझे वर्ष 2021 और 2022 में इस दिन के मध्य प्रदेश सहित देशव्यापी समारोहों को देखकर खुशी हुई ।

मंत्रालय इस बात से भी अच्छी तरह परिचित है कि जनजातियों की एक अनूठी संस्कृति और शक्ति है जो उन्हें कई कठिनाइयों के बावजूद एक संतोषजनक जीवन जीने में सक्षम बनाता है। वास्तव में प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना, जीवन को पूर्णता से जीना और खुशी प्राप्त करने के कई सबक हैं, जो जनजातीय समुदाय बाकी दुनिया को सिखा सकते हैं। यह मंत्रालय इस देश की जनजातीय आबादी को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर के बराबर और सर्वश्रेष्ठ लाने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना जारी रखेगा, साथ ही सर्वोत्तम प्रथाओं और पारंपरिक ज्ञान का प्रसार भी करेगा जो इन विविध समुदायों को राष्ट्र और दुनिया को प्रदान करना है। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ, पूरे देश के दृष्टिकोण के सहित, हितधारक के साथ साझेदारी में किया जाएगा ।

(अर्जुन मुंडा)

● 751, A Wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001. Tel. : 011-23381499, 23388482, 23070577 (Fax)
E-mail : arjun.munda@gov.in

1 परिचय

- 2011 की जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या 1,53,16,784 है और राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% है।

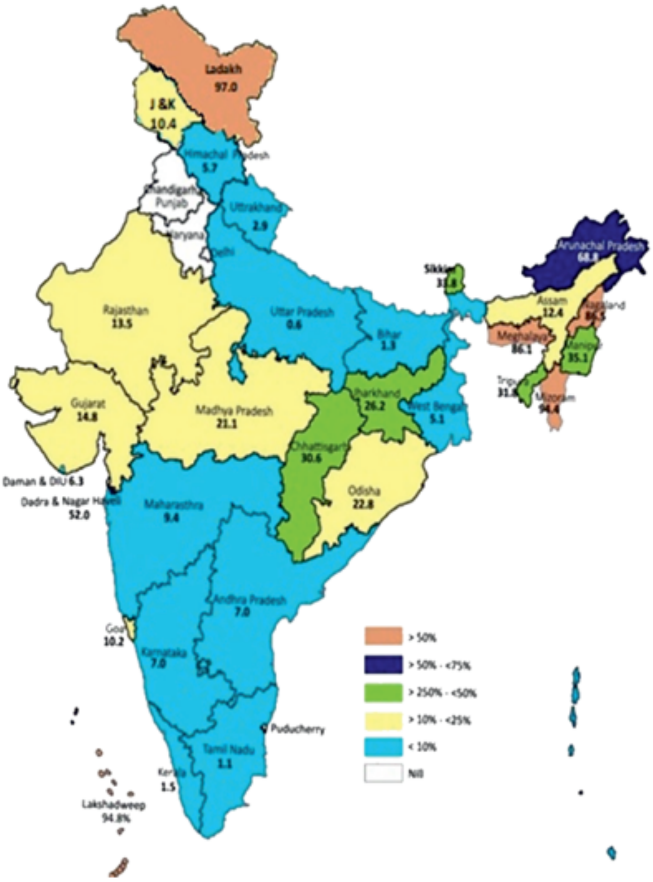

- मध्य प्रदेश में 46 अनुसूचित जनजाति समुदाय और मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित) में 7 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं, जैसे अबुझ मारिया, बैगा, भारिया, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार और सहरिया।

- जनजातीय विकास और संबंधित मामलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1999 में जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना की।

- 2021 में भारत सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने और भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक विरासत में उनके योगदान को याद करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया।

2 मंत्रालय की प्रमुख योजनाएं

शिक्षा

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (EMRS)	
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति योजना (Pre-Matric Scholarship Scheme)	योग्य उम्मीदवारों के लिए सार्वभौमिक
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (Post-Matric Scholarship Scheme)	
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना (शीर्ष श्रेणी) (National Scholarship Scheme)	
राष्ट्रीय फेलोशिप योजना (National Fellowship Scheme)	चयन द्वारा
राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना (National Overseas Scholarship Scheme)	

बहु क्षेत्रीय (Multi Sectoral) योजनाएँ: राज्यों को अनुदान

अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान
पीवीटीजी के विकास के लिए योजना
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)

शोध, निगरानी और मूल्यांकन

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) और उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) को सहायता
निगरानी और मूल्यांकन, कार्यक्रम, सर्वेक्षण और सामाजिक लेखा-परीक्षा

ईएमआरएस खरगोन, मध्य प्रदेश

आजीविका

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)
अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि
उत्तर पूर्व में जनजातीय उत्पादों का लॉजिस्टिक और मार्केटिंग व्यवस्था
एनएसटीएफडीसी को सहायता

3 जनजातियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय दृष्टिकोणः ईएमआरएस योजना

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना

योजना की मुख्य विशेषताएं

- अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 1997-98 में ईएमआरएस की शुरूआत की गई। 2018-19 में इस के लिए एक विशेष योजना बनाई गई।
- कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए।
- प्रति स्कूल 480 छात्र।
- प्रारंभ में अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदानित।
- 740 (452 नए + 288 पुराने) ईएमआरएस को 2026 तक स्थापित किया जाएगा।
- 5 करोड़ रूपये की दर से 211 पुराने स्कूलों का नवीकरण।
- प्रति स्कूल 5 करोड़ रूपये की दर से 15 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस (क्रीडा क्षेत्र) की स्थापना।
- 28919.72 करोड़ रूपये की स्वीकृति 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए।

	2014	2023
आवर्ती लागत	42,000.00 प्रति छात्र प्रति वर्ष	1,09,000.00 प्रति छात्र प्रति वर्ष
पूंजी लागत	12.00 करोड़ (मैदानी) 16.00 करोड़(पहाड़ी/कठिन/पूर्वोत्तर)	37.80 करोड़ (मैदानी) 48.00 करोड़ (पहाड़ी/कठिन/पूर्वोत्तर)

बजट घोषणाएं

2018-19:
"50% या अधिक और 20,000 एसटी आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक एक में ईएमआरएस स्थापित किया जाएगा, जो नवोदय विद्यालय के समकक्ष होगा।

2021-22:
"ऐसे प्रत्येक स्कूल की लागत को 20 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 37.8 करोड़ रूपये और पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों के लिए, 48 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव है। इससे हमारे आदिवासी छात्रों के लिए मजबूत बुनियादी सुविधाएं बनाने में मदद मिलेगी।"

मध्य प्रदेश

	2014	2023
कार्यशील विद्यालय	22	63

3.1 जनजातियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय **दृष्टिकोण**: ईएमआरएस योजना

मध्य प्रदेश में अपने परिसर में कार्यशील ईएमआरएस का सारांश

स्कीम	कुल लक्षित ईएमआरएस	कुल स्वीकृत ईएमआरएस	कार्यशील विद्यालय	निर्मित विद्यालय
अनुच्छेद 275 (1)	32	32	32	32
नई योजना	39	37	31	0
कुल	71	69	63	32

जिला स्तर विवरण

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक/तालुका	गाँव/बस्ती	छात्र
1	अलीराजपुर	सोंडवा	सोंडवा	411
2	अलीराजपुर	भाबरा	चंद्रशेखर आजाद नगर	316
3	अलीराजपुर	अलीराजपुर	अलीराजपुर	432
4	अलीराजपुर	जोबट	खारी	390
5	अनूपपुर	जैतहरी	बरबसपुर	449
6	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़	सरतलाई/चिरखंडन	.
7	बालाघाट	परसवाड़ा	परसवाड़ा	451
8	बालाघाट	बैहर	बेहर	445
9	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी खुर्द	416
10	बड़वानी	सेंधावा	सेंधवा	455
11	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	180
12	बड़वानी	नेवाली	पुरूषखेड़ा	420
13	बड़वानी	पति	बूढ़ी	424
14	बैतूल	शशहपुर	शाहपुर	431
15	बैतूल	भैंसदेही	जाम झिरी	382
16	बैतूल	चिचोली	जोगली	364
17	बैतूल	भीमपुरा	रातामती	-
18	भोपाल	फंदा	फंदा	466
19	बुरहानपुर	खकनार	मंजरोडकला	434
20	छिंदवाड़ा	जमाई	जुन्नारदेव	423
21	छिंदवाड़ा	बिछुआ	सिंगादरीप	433

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक/तालुका	गाँव/बस्ती	छात्र
22	छिंदवाड़ा	हर्रई	हर्रई	469
23	छिंदवाड़ा	तामिया	तामिया	420
24	धार	कुक्षी	कुक्षी	452
25	धार	धार	गरदावाड़	366
26	धार	गंधवाली	गंधवानी	318
27	धार	दही	पिथनपुर	328
28	धार	मनावर	देवला	82
29	धार	बाग	बांदा	-
30	धार	सरदारपुर	बडवेल्ली (बडबेली)	-
31	डिंडोरी	डिंडोरी	डिंडोरी	466
32	डिंडोरी	शाहपुरा	शाहपुरा	410
33	डिंडोरी	करंजिया	रूसा	429
34	डिंडोरी	मेंहदवानी	मेंहदवानी	433
35	गुना	गुना	गुना	358
36	हरदा	रेहटगांव	रेहटगांव	170
37	होशंगाबाद	केसला	केसला	429
38	इंदौर	इंदौर	ग्रामीण मोरोड	371
39	इंदौर	महू	महू	357
40	जबलपुर	जबलपुर	रामपुर छपर	468
41	जबलपुर	जबलपुर	नरैनाला	468
42	जबलपुर	पनगर	महागंवा	439
43	झाबुआ	थांदला	अग्रवाल	425
44	झाबुआ	राणापुर	मर्दुडिया	459
45	झाबुआ	मेघनगर	मेघनगर	270
46	झाबुआ	पेटलावद	पेटलावद	417
47	खंडवा	खालवा	खालवा	385
48	खरगोन	खरगोन	खरगोन	432
49	खरगोन	झिरन्या	झिरन्या	426

3.3 जनजातियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय **दृष्टिकोण**: ईएमआरएस योजना

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक/तालुका	गाँव/बस्ती	छात्र
50	खरगोन	भगवानपुरा	भगवानपुरा	
51	खरगोन	सेगांव	गैर	
52	मंडला	बिछिया	सिझौरा	433
53	मंडला	मंडला	मंडला	448
54	मंडला	घुघरी	दादरखेड़ा	128
55	मंडला	नारायणगंज	संघनपुर चौकी	128
56	मंडला	निवास	हरिसिगोरी	134
57	रतलाम	सैलाना	सैलाना	406
58	रतलाम	बाजना	सरतलाई/चिरखंडन	120
59	सतना	मैहर	अरकंडी (मेहर)	416
60	सतना	मझगवां	चित्रकूट	373
61	सीहोर	बुधनी	बांसपुर	429
62	सिवनी	घनसौर	घनसौर	449
63	सिवनी	धनौरा	धनौरा	
64	शहडोल	सोहागपुर	सोहागपुर	423
65	शहडोल	सोहागपुर	हर्री/सोहागपुर	423
66	शहडोल	जैतपुर	बिरोड़ी	438
67	श्योपुर	कराहल	पनवाड़ा	251
68	सीधी	कुसमी	तनसार	480
69	सिंगरौली	देवसर	बरगवां	432
70	उमरिया	पाली	पाली	240

छात्रगण	
छात्र	छात्रा
10275	14006

3.4 जून 2021 से तैयार ईएमआरएस

(ईएमआरएस) धार, मध्य प्रदेश

(ईएमआरएस) खरगोने, मध्य प्रदेश

(ईएमआरएस) मैहर, मध्य प्रदेश

4 शिक्षा के क्षेत्र में जनजातियों के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोणः छात्रवृत्ति

डिजिटल सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण

मंत्रालय मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति नाम से 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू कर रहा है।

योजना की उपलब्धियां

- हर साल 30 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिल रहा है।
- छात्रवृत्ति योजना का आरंभ से अंत तक डिजिटलीकरण।
- छात्रवृत्ति सीधे छात्र के खाते में जमा की जाती है।
- डीबीटी पोर्टल, एमआईएस, राज्यों द्वारा डेटा साझा करना।
- ऑनलाइन छात्र सत्यापन प्रक्रिया - 331 विश्वविद्यालयों का एकीकरण - फेलोशिप योजना।
- शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा।
- राष्ट्रीय फेलोशिप और राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत अनिवार्य प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए डिजी लॉकर का उपयोग।
- मंत्रालय की उपलब्धि और पहल का समीक्षात्मक डैशबोर्ड, प्रयास पीएमओ डैश बोर्ड, डीबीटी भारत पोर्टल पर डेटा साझा किया गया।

4.1 डिजिटल सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण

डिजिटल सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम	पाठ्यक्रम कवर किया गया	पात्रता
1.	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (Pre-Matric Scholarship)	कक्षा 9-10	• कक्षा 9-10 में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए • माता-पिता की आय 2.5 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (Post-Matric Scholarship)	सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा से ऊपर) पाठ्यक्रम	• किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक के बाद के सभी पाठ्यक्रमों (11 से पीएच.डी स्तर तक) में पढने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र जिन्होंने कक्षा 10 (मैट्रिक) या समकक्ष उत्तीर्ण किया है। • माता-पिता की आय 2.5 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3क.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (National Scholarship)	उत्कृष्ट संस्थानों में स्नातक, स्नातकोत्तर	• आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईटी जैसे 252 उत्कृष्ट संस्थानों में निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए चयनित छात्र • माता-पिता की आय 6 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3ख.	राष्ट्रीय फेलोशिप (National Fellowship)	पीएचडी, एम.फिल, एकीकृत एम.फिल + पीएचडी	• एम.फिल, पीएचडी, और एकीकृत एम.फिल + पीएचडी के लिए भारत में उच्चतर अध्ययन के लिए प्रत्येक वर्ष 750 फेलोशिप। • न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री
4.	राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति (National Overseas Scholarship)	स्नातकोत्तर, पीएचडी और विदेश में पोस्टडॉक्टोरल	• विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टोरल के अध्ययन के लिए प्रत्येक वर्ष 20 नए छात्र। • माता-पिता की आय 6 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4.2 डिजिटल सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण

डिजिटल सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातियों का सशक्तिकरण

छात्रवृत्ति योजनाएं: 2014-15 से 2022-23				
	मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति		मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	
	जारी अनुदान (लाख में)	कुल विद्यार्थी	जारी अनुदान (लाख में)	कुल विद्यार्थी
समस्त भारत				
संचित	252090	11878168	1413333	18485801
औसत/वर्ष	28010	1319796	157037	2053978
मध्य प्रदेश राज्य				
संचित	53053.76	2654266	118350.33	2630853
औसत/वर्ष	5894.86	294918	13150.04	292317
	राष्ट्रीय फेलोशिप 2014-15 से 2022-23		राष्ट्रीय छात्रवृत्ति 2015-16 से 2022-23	
	जारी अनुदान (लाख में)	कुल विद्यार्थी	जारी अनुदान (लाख में)	कुल विद्यार्थी
समस्त भारत	54355.46	5697	16576.14	7069
मध्य प्रदेश	2377.82	262	410.28	167
	राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति 2014-15 से 2022-23			
	जारी अनुदान (लाख में)		कुल विद्यार्थी	
समस्त भारत	2026.46		88	
मध्य प्रदेश	47.49		1	

5 जनजातीय शोध संस्थानों (टीआरआई) के माध्यम से जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन

टीआरआई के उद्देश्य

- जनजातीय मुद्दों पर अनुसंधान और मूल्यांकन
- व्यक्तिगत/परिवार आधारित अधिकारों के लिए डेटाबेस तैयार करना
- जनजातीय कला और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रलेखन
- विभिन्न हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता-संवर्धन
- जनजातियों का सांस्कृतिक आदान-प्रदान भ्रमण
- रिपॉजिटरी का विकास और रखरखाव
- नए स्मारकों/संग्रहालयों का निर्माण और रखरखाव
- जनजातीय शोध संस्थानों का भवन निर्माण।

2014-15 से 2022-23 तक टीआरआई मध्य प्रदेश को जारी अनुदानः 3,522.53 लाख रु.

वित्तीय वर्ष	जारी अनुदान (रु. लाख में)
2014-15	987.00
2015-16	78.75
2016-17	54.35
2017-18	732.51
2018-19	738.34
2020-21	447.00
2021-22	484.58
कुल	3522.53

6 सतत और लाभप्रद आजीविका

- जनजातीय आजीविका के व्यापक एकीकृत विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन शुरू किया गया।
- देश भर में वन धन केंद्र स्थापित किए जा रहे है।

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन

- 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य शृंखला के विकास' योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय क्षेत्र विकास सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा खरीद के लिए रिवॉल्विंग फंड के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 2681.25 लाख रुपये की अनुदान सहायता दी गई है।
- 6 एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया गया है, अर्थात् जंगली शहद, शिकाकाई, इमली के बीज, पहाड़ी झाड़ू घास, गोंद कराया और मायरोबनल।

योजना के तहत मध्य प्रदेश द्वारा खरीदे गए एमएफपी का विवरण:

राज्य	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	कुल योग (वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23)
	खरीद	खरीद	खरीद
	मूल्य (लाख रुपए में)	मूल्य (लाख रुपए में)	मूल्य (लाख रुपए में)
मध्य प्रदेश	217.14	5.55	1412.82

6.1 सतत और लाभप्रद आजीविका

वन धन विकास कार्यक्रम (वीडीवीके)
जनजातियों के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिकाः

संरचना

- 'पीएमजेवीएम' की योजना के तहत वीडीवीके घटक के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी - ट्राइफेड
- वीडीवीके - जनजातीय उत्पादों/उपज की खरीद मूल्यवर्धन के लिए सामान्य सुविधा केंद्र
- प्रत्येक वीडीवीके एसएचजी के लगभग 20 सदस्य
- 15 वीडीवीके एसएचजी लगभग 300 सदस्य से एक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) का गठन
- मजबूत शासन तंत्र - राज्य नोडल विभाग, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (State Implementation Agency) और परामर्श एजेंसियां

गतिविधियां

- वीडीवीके के संवर्धन, प्रशिक्षण और उपकरण सहायता के लिए ट्राइफेड के माध्यम से एसआईए को 15 लाख रूपये का केंद्रीय अनुदान
- वीडीवीके - मूल्यवर्धन, पैकेजिंग, और ब्रांडिंग के लिए जनजातीय स्टार्ट-अप
- मोबाइल ऐप और जीआईएस के माध्यम से सभी जनजातीय लाभार्थियों, वीडीवीके एसएचजी और वीडीवीके का डिजिटलीकरण
- गुणवत्ता जांच के माध्यम से वीडीवीके का पैनल, ट्राइफेड 'ट्राइब इंडिया, अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से बिक्री

अखिल भारतीय	कवरेज (मार्च, 2023 तक)	मध्य प्रदेश
10,63,290 लाभार्थी		**37,860** लाभार्थी
55,036 वन धन - एसएचजी		
3555 वीडीवीके		**126** वीडीवीके
रूपये **52,777.05** लाख रूपये की स्वीकृत निधियां	₹	रूपये **1,890** लाख रूपये की स्वीकृत निधियां

6.2 आजीविका को सुदृढ़ बनाना

एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं:

Term Loan

- 50.00 लाख रु. प्रति यूनिट तक की लागत वाली व्यवहार्य योजनाओं के लिए
- एनएसटीएफडीसी से 90% तक की सहायता और शेष राशि सब्सिडी/मार्जिन मनी आदि के माध्यम से पूरी की जाती है
- ब्याज दर 6-8-10% के बीच में

Adivasi Mahila Sashaktikaran Yojana (AMSY)

- अनूसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए एक विशेष योजना
- 2 लाख रु. तक की लागत वाली योजनाओं के लिए 90% तक की वित्तीय सहायता
- 4% प्रति वर्ष की अत्यधिक रियायती ब्याज दर

Micro Credit Scheme

- एसटी एसएचजी के सदस्यों की लघु वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए
- 50,000 रूपये प्रति सदस्य की सीमा के साथ प्रति एसएचजी 5 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता
- ब्याज दर 6% प्रति वर्ष

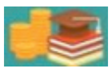

Adivasi Shiksha Rrinn Yojana

- अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा भारत में पीएचडी सहित तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता
- एनएसटीएफडीसी से 90% तक की सहायता, प्रति परिवार 6% की दर से अधिकतम 10 लाख रूपये का ऋण

(रू0 लाख में)

राज्य	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण
मध्य प्रदेश	2265	2014.57	13282	4176.26	5685	3360.16	2373	2755.00

7 राज्यों को अनुदान

बहु-क्षेत्रीय योजनाएं (Multi Sectoral Schemes):

➡ विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए राज्य को अनुदान निम्नलिखित के माध्यम से प्रदान किया जाता है:

क. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान

ख. प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) (जनजातीय उप-योजना को विशष केंद्रीय सहायता की योजना)

ग. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास के लिए योजना ।

➡ नीचे दिए गए क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए राज्य को दिए गए अनुदान:

- शिक्षा
- कौशल विकास
- पोषण
- बुनियादी ढांचे का विकास
- सड़क संपर्क
- खेल - कूद
- बाजार और मूल्य शृंखला विकास
- आजीविका
- स्वास्थ्य
- पशुपालन
- सिंचाई और जल विभाजन प्रबंधन
- पेय जल
- पारिस्थितिकी पर्यटन (Eco-Tourism)
- कला और संस्कृति

7.1 राज्यों को अनुदान

पीवीटीजी के विकास के लिए योजना

मुख्य विशेषताएं

- 75 पीवीटीजी - 18 राज्यों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में।
- मध्य प्रदेश में 46 अनुसूचित जनजाति समुदाय और मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित) में 7 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं, जैसे अबुझ मारिया, बैगा, भारिया, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार और सहारिया।
- योजना के अंतर्गत क्षेत्रः शिक्षा, आजीविका, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, इत्यादि।

2014-15 से 2022-23 तक मध्य प्रदेश को जारी अनुदानः 48597.50 लाख रु.

क्र. सं.	मध्य प्रदेश राज्य को स्वीकृत प्रमुख परियोजनाएं (योजना के तहत - पीवीटीजी के लिए सीसीडी योजना)
1.	पीवीटीजी जिलों के लिए आंगनवाड़ी भवन सह-शिक्षा केंद्र विकास
2.	पारंपरिक कृषि का संरक्षण
3.	20 छात्रावासों का निर्माण
4.	एमपीएसईडीसी लिमिटेड परियोजना - पीवीटीजी के लिए 5 अत्याधुनिक कंप्यूटर कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र
5.	सभी विभागीय आवासीय संस्थानों में सोलर गीज़र सिस्टम की स्थापना

7.2 राज्यों को अनुदान

जनजातीय उप-योजना को विशष केंद्रीय सहायता की योजना (टीएसएस को एससीए)

जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता की योजना (टीएसएस कोस एससीए) के तहत 2014-15 से 2020-21 तक मध्य प्रदेश को जारी अनुदान *: 99,224.96 लाख

क्र. सं.	मध्य प्रदेश राज्य को स्वीकृत प्रमुख की परियोजनाएं (योजना के तहत - टीएसएस को एससीए)
1	छात्रावासों का निर्माण
2	आश्रम विद्यालयों एवं छात्रावासों का उन्नयन
3	बैंक से जुड़ा स्व-रोजगार
4	एकीकृत डेयरी विकास परियोजना
5	सिंचाई
6	मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां
7	आजीविका गतिविधियाँ
8	छात्रावासों का निर्माण

* जनजातीय उप-योजना जिसका नामकरण 'प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY) है, 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने विशेष केंद्रीय सहायता को संशोधित किया है।

7.2.1 राज्यों को अनुदान

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)

अखिल भारतीय

उद्देश्य

चिन्हित अंतरों के आधार पर 36,428 गांवों का व्यापक विकास।

मानदंड

कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अनुसूचित जनजातियों वाले गाँव।

- प्रशासनिक व्यय सहित स्वीकृत गतिविधियों के लिए अंतर भरण (गैप फिलिंग) के रूप में प्रति ग्राम 20.38 लाख रूपये।

(रू0 लाख में)

राज्य	गाँवों की कुल संख्या	2021-22		2022-23	
		स्वीकृत गाँव	कुल निर्मुक्त	स्वीकृत गाँव	कुल राशि
मध्य प्रदेश	7307	1538	12268.76	1329	27694.54

7.3 राज्यों को अनुदान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) प्रावधानों के तहत अनुदान

2014-15 से 2022-23 तक मध्य प्रदेश को जारी की गई निधियां: रु.157149.33 लाख रु.

क्र. सं.	मध्य प्रदेश राज्य को स्वीकृत उच्च मूल्य की परियोजनाएं (योजना के तहत - अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान)
1	ई.एम.आर.एस. की आवर्ती लागत
2	आई.टी.डी.पी परियोजनाओं का सुदृढ़ीकरण
3	7 विशेष खेल परिसर का निर्माण
4	30 ई.एम.आर.एस. में सभागार
5	ग्रामीण पर्यटन संवर्धन के माध्यम से जनजातीय परिवारों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करना
6	2 फूड पार्क का निर्माण
7	22 केएसपी में "अपना घर अपना विद्यालय"
8	आवासीय सुविधा सहित बैतूल में 200 विस्तरीय एमसीएच केन्द्र भवन का निर्माण
9	8 ईएमआरएस का उन्नयन
10	संभाग स्तर पर सीबीएसई पैटर्न पर गुरुकुलम आवसीय शिक्षा संस्थान

8 गैर सरकारी संगठन

गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान

'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता' की योजना के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं को चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को बढ़ाना और सेवा की कमी वाले जनजातीय क्षेत्रों में अंतरों को कम करना है।

योजना	सांकेतिक परियोजनाएं
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान	आवासीय विद्यालय
	गैर आवासीय विद्यालय
	छात्रावास
	10 बिस्तरों वाला अस्पताल
	सचल औषधालय
	बालिकाओं के लिए शैक्षिक परिसर और छात्रावास (अनुसूचित जनजाति की कम साक्षरता वाले जिलों में)

अखिल भारतीयः गैर सरकारी संगठन अनुदान

	2014-15	2022-23
बजट परिव्यय	44.38 करोड़ रूपये	74.32 करोड़ रुपये
अनुदान प्रबंधन तंत्र	पूरी तरह से मैनुअल (पद्धति से)	पूरी तरह से ऑनलाइन (पद्धति से)

2014-15 से 2022-23 के दौरान मध्य प्रदेश में काम कर रहे एनजीओ को कुल जारी सहायता अनुदानः 58.6 करोड़ रु.

9 वन अधिकार अधिनियम (2006)

मुख्य विशेषताएं

- 'एफआरए, 2006' में वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों (एफडीएसटी) और अन्य परंपरागत वनवासियों (ओटीएफडी) के वन अधिकारों और वन भूमि में अधियोग को मान्यता देने और निहित करने के प्रावधान हैं
- एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, अधिनियम के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्स सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है
- 31.03.2023 तक, एफआरए 2006 के तहत कुल 45,44,886 दावे (43,64,312 व्यक्तिगत और 1,80,574 समुदाय) दर्ज किए गए हैं और 1,75,68,573.88 एकड़ (व्यक्ति के लिए 46,57,605.58 एकड़ और समुदाय के लिए 1,39,10,968.30 एकड़) वन भूमि में 23,07,712 टाइटल (21,99,012 व्यक्तिगत और 1,08,700 समुदाय) वितरित किए गए हैं।
- एफआरए, 2006 के कार्यान्वयन के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिवों द्वारा संयुक्त-पत्र जारी किया गया है।

31.03.2023 तक प्राप्त सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में एफआरए के कार्यान्वयन का विवरण:

मद	व्यक्तिगत	सामुदायिक	कुल
प्राप्त दावों की संख्या	5,85,326	42,187	6,27,513
संवितरित अधिकार-पत्रों की संख्या	2,66,609	27,976	2,94,585
वन भूमि की सीमा जिसके लिए अधिकार पत्र वितरित (एकड़ में)	9,02,750.46	14,63,614.46	23,66,364.92

10 जनजातीय गौरव दिवस

2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती “15 नवंबर” को “जनजातीय गौरव दिवस” के रूप में घोषित की गई और पूरे देश में 15 से 22 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह हर्षोल्लास व अभिमान से मनाया गया।

मुख्य विशेषताएं (जनजातीय गौरव सप्ताह)

2021

- माननीय प्रधान मंत्री ने संसद परिसर, नई दिल्ली में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की
- माननीय प्रधान मंत्री ने राँची में “भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय” का उद्घाटन किया
- गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा मणिपुर के तमेंगलोंग में रानी गाइदिन्ल्यू संग्रहालय की आधारशिला रखी गई।

02 भोपाल महासम्मेलन में 02 लाख से अधिक जनजातीय लोग शामिल हुए

133 जनजातीय गौरव सप्ताह (15-22 नवंबर, 2021) के दौरान आयोजित कार्यक्रम

50 माननीय प्रधान मंत्री द्वारा देशभर में एकलव्य आदर्श विद्यालयों की शिलान्यास

2022

- माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की
- माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने संसद परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की
- माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष वीडियो संदेश में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को साकार करने के लिए देश ‘पंच प्राण’ की ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है

30.5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों की पहुंच हासिल की

401 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में जनजाति गौरव दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमों, गतिविधियों और प्रतियोगिताओं के साथ मनाया जाता है

80 जनजातीय गौरव सप्ताह (15-22 नवंबर 2022) के दौरान आयोजित कार्यक्रम

माननीय केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, श्रीमती रेणुका सिंह और जनजातीय कार्य और जल शक्ति राज्य मंत्री, श्री बिश्वेश्वर टुडु, सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने जन जातीय गौरव दिवस समारोह में भाग लिया।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने उत्सवों में सक्रिय रूप में भाग लिया और जनजातीय गौरव दिवस 2021-22 को बढ़ावा दिया।

शब्दावली

पीवीटीजी	-	विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह
ईएमआरएस	-	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय
पीएम-एएजीवाई	-	प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना
टीआरआई	-	जनजातीय शोध संस्थान
पीएमजेजेवीएम	-	प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन
एनएसटीएफडीसी	-	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम
वीडीवीके	-	वन धन विकास कार्यक्रम/वन धन विकास केन्द्र
एससीए	-	विशेष केंद्रीय सहायता
टीएसएस	-	जनजातीय उप योजना
एफआरए	-	वन अधिकार अधिनियम

सत्यमेव जयते

जनजातीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार